

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4257 /

जबलपुर, दिनांक 13/10/2017

श्री नितेश पाण्डेय, सहायक ग्रेड-तीन(इंग्लिश नोइंग), जिला एवं सत्र न्यायालय, नरसिंहपुर(म.प्र.) वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ में पदस्थ को इस रजिस्ट्री से दिनांक 13.10.2017 अपराह्न से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार,

सही  
(मो. फहीम अनवर)  
रजिस्ट्रार जनरल  
Pa

पृष्ठांकन क्रमांक C/4258 /

जबलपुर, दिनांक 13/10/2017

प्रतिलिपि :-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर(म.प्र.) की ओर श्री नितेश पाण्डेय, सहायक ग्रेड-तीन(इंग्लिश नोइंग) को इस रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक सी/4112 जबलपुर, दिनांक 07.10.2017 के पालन में इस रजिस्ट्री में शीघ्रलेखक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यभार मुक्त किये जाने हेतु,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/कम-पीपीएस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर/नरसिंहपुर,
4. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. चेयरमेन, एडवाईजरी बोर्ड, जबलपुर के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार(न्या.) के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. असिस्टेंट रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. श्री नितेश पाण्डेय, सहायक ग्रेड-तीन(इंग्लिश नोइंग), जिला एवं सत्र न्यायालय, नरसिंहपुर(म.प्र.) वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ में पदस्थ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

13/10/17  
(चन्द्रेश कुमार खरे)  
रजिस्ट्रार(प्रशा.)  
Bc

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4250 /  
II-13-28/2017

जबलपुर, दिनांक 13/10/2017

श्री अभिषेक राव, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के विरुद्ध रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक सी/3739/ जबलपुर दिनांक 07.09.2017 द्वारा प्रारंभ की गई नियमित विभागीय जांच की कार्यवाही (अनुशासनिक कार्यवाही) इस निर्देश के साथ समाप्त (Dropped) की जाती है, कि भविष्य में कदाचार की पुनरावृत्ति करने पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

सही/-

(मो. फहीम अनवर)  
रजिस्ट्रार जनरल  
B

पृष्ठांकन क्रमांक C/4251 /  
II-13-28/2017

जबलपुर, दिनांक 13/10/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
2. रजिस्ट्रार प्रशा./ आई.एल./ न्यायिक 1 एवं 2/ डी.ई/ ई./ कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड करवाने हेतु।
4. बजट अधिकारी/ लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार ..... उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर
9. अनुभाग अधि. स्था./ पेंशन/ लेखा/ बजट/ न्यायिक/ प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)/ सर्तकता/ आई.एल.आर. एवं परीक्षा महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
12. सहायक स्थापना/ प्रोटोकॉल/ अवकाश/ सेवापुस्तिका/ वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
13. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. श्री अभिषेक राव, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सही/-

(नवनीत कुमार गोधा)  
रजिस्ट्रार (आई.एल.)  
B

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4255 /

जबलपुर, दिनांक 13 / 10 / 2017

श्रीमती ज्योति चौहान पति श्री धीरज चौहान, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर का त्यागपत्र दिनांक 13.10.2017 अपराह्न से स्वीकृत किया जाता है।

सही/-

(मो. फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4256 /

जबलपुर, दिनांक 13 / 10 / 2017

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन / कम-पीपीएस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार, .....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. अनुभाग अधि. स्थापना / लेखा / बजट / पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक / सतर्कता / (आई.एल.आर. एवं परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. सहायक, स्थापना / अवकाश / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / डी.पी.एफ. / प्रोटोकॉल ऑफिसर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. श्रीमती ज्योति चौहान पति श्री धीरज चौहान, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

13/10/17

(चन्द्रेश कुमार खरे)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5397 /  
दो-14-9/83 भाग-16 बैच

जबलपुर, दिनांक 10/09/2017  
10

श्री विजयराम सिरौले, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को ग्वालियर विधि महाविद्यालय जिला ग्वालियर म.प्र. से एलएल.बी (त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने एवं प्रथम वर्ष सत्र 2017-18 की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

अर्थात्-

(मो फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/5398 /  
दो-14-9/83 भाग-16 बैच

जबलपुर, दिनांक 10/09/2017  
10

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 6035/स्था./83/परीक्षा स्था. ग्वालियर, दिनांक 13.09.2017 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वार्ट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री विजयराम सिरौले, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

10/9/17

(चन्द्रेश कुमार खरे)

रजिस्ट्रार(प्रशासन)

For Registrar (Administration)  
High Court of Madhya Pradesh  
Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5395 /  
दो-14-9/83 भाग-16 बैच

जबलपुर, दिनांक 10/09/2017

श्री नरेन्द्र निवजा, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को ग्वालियर विधि महाविद्यालय जिला ग्वालियर मप्र. से एलएलबी (त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने एवं प्रथम वर्ष सत्र 2017-18 की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

सही/-

(मो. फहीम अनेवर)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B.5396 /  
दो-14-9/83 भाग-16 बैच

जबलपुर, दिनांक 10/09/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 6035/स्था./83/परीक्षा स्था. ग्वालियर, दिनांक 13.09.2017 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री नरेन्द्र निजवा, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

चन्द्रेश कुमार खरे

(चन्द्रेश कुमार खरे)

रजिस्ट्रार(प्रशासन)

for Registrar (Administrat  
High Court of Madhya Pr  
Jabalpur

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5393 /  
दो-14-9/83 भाग-16 बैच

जबलपुर, दिनांक 10/09/2017

श्री रॉबिन जैन, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को ग्वालियर विधि महाविद्यालय जिला ग्वालियर म.प्र. से एलएल.बी (त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने एवं प्रथम वर्ष सत्र 2017-18 की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

सही/-

(मो. फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/5394 /  
दो-14-9/83 भाग-16 बैच

जबलपुर, दिनांक 10/09/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 6035/स्था./83/परीक्षा स्था. ग्वालियर, दिनांक 13.09.2017 के संदर्भ में।
  2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) /कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
  4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  9. श्री रॉबिन जैन, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(चन्द्रेश कुमार खरे)

रजिस्ट्रार(प्रशासन)

Par

Registrar (Administration)  
Court of Madhya Pradesh

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5391 / जबलपुर, दिनांक 10/09/2017  
दो-14-9/83 भाग-16 बैच

श्री दिनेश कुमार, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को ग्वालियर विधि महाविद्यालय जिला ग्वालियर म.प्र. से एलएल.बी (त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने एवं प्रथम वर्ष सत्र 2017-18 की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

सही/-

(मो फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/5392 /  
दो-14-9/83 भाग-16 बैच

जबलपुर, दिनांक 10/09/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 6035/स्था./83/परीक्षा स्था. ग्वालियर, दिनांक 13.09.2017 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वार्ट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री दिनेश कुमार, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

27/9/17

(चन्द्रेश कुमार खरे)

रजिस्ट्रार(प्रशासन)

Registrar (Administration)  
High Court of Madhya Pradesh

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर  
// आदेश //

क्रमांक C/4096 /

जबलपुर, दिनांक 6/10/2017

श्री सचिन सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर किया जाता है।

श्री सचिन सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड तीन का निलंबन काल में मुख्यालय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर रहेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

सही /-

(मो. फहीम अनवर)


रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4097 /

जबलपुर, दिनांक 6/10/2017

प्रतिलिपि

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.)
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई/ई./आई.एल./सतर्कता/एकजाम एंड
3. लेबर ज्यूडिशियरी/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर/ग्वालियर,
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार ..... उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
11. अनुभाग अधिकारी स्था./लेखा/बजट/न्यायिक/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
13. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/(आई.एल.आर. एवं परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन निर्धारण/डी.पी.एफ. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
16. श्री सचिन सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
06/10/17  
(अरविंद कुमार शुक्ला)  
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)



उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर  
// आदेश //

क्रमांक C/4094 / जबलपुर, दिनांक 6/10/2017  
श्री सचिन सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा न्यायिक शाखा के लिस्टिंग अनुभाग में कार्यरत रहते हुए प्रकरण क्रमांक एम.सीआर.सी. 4401/2017, 4704/2017, 8115/2017 11969/2016, 8917/2017, 17106/2015, 3175/2007, क्रिमीनल रिवीजन 3088/2015 एवं 146/2016 को, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित बैंच के Internal Assignment दिनांक 04.09.2017 एवं आदेश दिनांक 05.09.2017 की जानकारी रहते हुए, इन आदेशों के विरुद्ध सूचीबद्ध करने का कदाचार करने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी तथा कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20 सहपठित म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 भाग-चार के नियम 9(1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर रहेगा। निलंबन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के  
आदेशानुसार

रही/-

(मो. फहोम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4095 / जबलपुर, दिनांक 6/10/2017

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन सिटी सेंटर ग्वालियर (म.प्र.)
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई/ई./आई.एल./ (सतर्कता)/एकजाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर/ग्वालियर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार ..... उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
8. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
10. अनुभाग अधिकारी स्था./लेखा/बजट/न्यायिक/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
12. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/(आई.एल.आर. एवं परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन निर्धारण/डी.पी.एफ. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
15. श्री सचिन सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(अरविंद कुमार शुक्ला)  
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)  
Per

# महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितंबर 2017

क्र. 2199-2629-2017-पचास-2.-किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

## अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड का नाम और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	छेवास	देवास	श्रीमती कविता इवनती, JMFC
2	इंदौर	इंदौर	श्रीमती विनीता गुप्ता, JMFC
3	उज्जैन	उज्जैन	कु. पुनीता चौहान, JMFC
4	शाजापुर	शाजापुर	श्रीमती मंजू सिंह, JMFC

No. 2199-2629-2017-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely :-

## SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dewas	Dewas	Smt. Kavita Iwnati, JMFC
2	Indore	Indore	Smt. Vineeta Gupta, JMFC
3	Ujjain	Ujjain	Ku. Puneeta Chauhan, JMFC
4	Shajapur	Shajapur	Smt. Manju Singh, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज शर्मा, उपसचिव.

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर  
// आदेश //

क्रमांक C/4170/

जबलपुर, दिनांक 11/10/2017

श्री अनिल कुमार देशमुख, रिफरैन्स लायब्रेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के स्थान पर ग्रंथालय का प्रभार सौंपा जाता है।

Sd/-

(मो. फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

ह

पृष्ठांकन क्रमांक C/4171/

जबलपुर, दिनांक 11/10/2017

1. रजिस्ट्रार, प्रशासन/न्यायिक 1, 2 एवं 3, /डी.ई./ई./आई.एल./सतर्कता/पी.पी.एस.
2. /एकजाम एवं लेबर ज्यूडीशियरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी. की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की बेतसाईट में
4. अपलोड करवाने हेतु,
5. ज्वार्इन्ट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. ओ.एस.डी. (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार, ..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
11. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/जिला स्थापना/कार्य/पेंशन/बजट, उच्च
12. न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/आई.एल.आर. एवं परीक्षा/सतर्कता महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
14. सहायक सम्पादक (आई.एल.आर.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. रजिस्ट्रार जनरल, महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
17. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
18. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
19. अनिल कुमार देशमुख, रिफरैन्स लायब्रेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।

10/10/17

(चन्द्रेश कुमार खरे)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

ह

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4168 /  
दो-14-1/2017 भाग-दो

जबलपुर, दिनांक 11/10/2017

श्री उज्ज्वल वाघ, सहायक ग्रेड-तीन, (हार्डवेयर टेक्निशियन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को आई.टी. अनुभाग में कार्यरत रहते हुए दिनांक 09 अगस्त 2017 को रजिस्ट्रार (न्यायिक), सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा ई-मेल जो कि इस रजिस्ट्री की ई-मेल आई.डी. mphc@nic.in पर दिनांक 09.08.2017 को प्रेषित की गई थी एवं जिसमें रजिस्ट्री से सुझाव दिनांक 16.08.2017 तक अनिवार्य रूप से उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, आपके द्वारा तत्काल संबंधित अनुभाग/अधिकारी को प्रेषित नहीं किये जाने की त्रुटि करने के फलस्वरूप चेतावनी (Warning) दी जाती है, कि अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें, भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

सही/-  
(मो. फहीम अनवर)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4169 /  
दो-14-1/2017 भाग-दो

जबलपुर, दिनांक 11/10/2017

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  2. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
  3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  4. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
  5. डिप्टी रजिस्ट्रार, ..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
  7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  8. अनुभाग अधिकारी स्थापना/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  9. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  10. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  11. श्री उज्ज्वल वाघ, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(चन्द्रेश कुमार खरे)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4166 /  
दो-14-1/2017 भाग-दो

जबलपुर, दिनांक 11/10/2017

श्री उज्ज्वल वाघ, सहायक ग्रेड-तीन, (हार्डवेयर टेक्निशियन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को आई.टी. अनुभाग में कार्यरत रहते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल के प्रमुख सचिव का पत्र दिनांक 11.08.2017 जो मध्यप्रदेश के जिला उपभोक्ता फोरम में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त उच्च न्यायिक अधिकारियों के वापसी की अवधि में वृद्धि के संबंध में था एवं ई-मेल के माध्यम से दिनांक 11.09.2017 को प्रेषित किया गया था तथा जिस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जानी थी, किन्तु आपके द्वारा उक्त ई-मेल संबंधित अनुभाग को तत्काल प्रेषित नहीं किये जाने की त्रुटि करने के फलस्वरूप चेतावनी (Warning) दी जाती है, कि अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें, भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

सक्षी/-

(मो. फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4167 /  
दो-14-1/2017 भाग-दो

जबलपुर, दिनांक 11/10/2017

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार, .....उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्थापना/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री उज्ज्वल वाघ, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

*(Handwritten signature)*

(चन्द्रेश कुमार खरे)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

*(Handwritten mark)*